I 190/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

26 JUN 2019

कार्यालय कोषागार बागपत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR P

BK 033150







खेकड़ा (बागपत)

खेकड़ा (बागपत)

आवेदन संख्या 20190073700

लेख किरायानामा/लीज डीड

अध्यक्ष

गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट

गडागाँव (बागपत) उ०प्र०

https://igrsup.gov.in/igrsu

आवेदन सं०: 201900737002439

0001

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 1900 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री सुधीर कुमार, पुत्र श्री राम सिंह

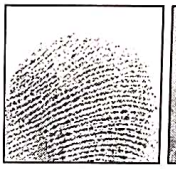



निवासी: ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत

व्यवसाय: कृषि

पट्टा दाता: 2

श्री विकास कुमार, पुत्र श्री राम िसह




निवासी: ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत

व्यवसाय: कृषि

पट्टा दाता: 3

श्री कवरपाल सिंह, पुत्र श्री पूरण सिंह

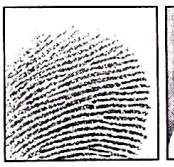



निवासी: ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत

व्यवसाय: कृषि

पट्टा गृहीता: 1

श्री गोल्डन गेट एजू० ट्रस्ट द्वारा सुधीर कुमार, पुत्र श्री राम सिंह




निवासी: ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत

व्यवसाय: शिक्षक

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विजय कुमार आर्य , पुत्र श्री अतर सिंह




निवासी: ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत

व्यवसाय: कृषि

Vijay

क्रम संख्या—3172 स्टाम्प बिक्री की तिथि—31/12/19
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन—
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता—
स्टाम्प की धनराशि—1500/-

(देवेन्द्र कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स संख्या- 7/बागपत/-2
लाइसेन्स की अवधि 31-03-2020
स्थान-तहसील कम्पाउण्ड, खेकडा (बागपत)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 454135

पैनकार्ड CBWPS9347H पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत द्वितीय पक्ष/किरायेदार है:

विदित हो कि ग्राम रावण उर्फ बडागांव तहसील खेकडा जिला बागपत में स्थित एक भवन जिसके मालिक काबिज व स्वामी प्रथम पक्षगण है। जो खसरा संख्या 967/2 रकबा 0.1620 है0, 969/2 रकबा 0.3212 है0, 967/3 रकबा 0.1620 है0, 969/3 रकबा 0.3212 है0 कुल नं0 4 कुल रकबा 0.9624 है0 ग्राम रावण उर्फ बडागांव में स्थित है, जिसका क्षे0 9024 वर्ग मीटर है। जिसके पूरब में रास्ता, पश्चिम में खेत नन्दकिशोर का, उत्तर में खेत बाला देवी का व दक्षिण में खेत नन्दकिशोर आदि का है तथा इस भवन पर प्रथम पक्षगण बजरिये पंजीकृत बैनामा काबिज है तथा राजस्व भू अभिलेखानुसार मालिक है। उक्त खसरा संख्या 967/2 रकबा 0.1620 है0, 969/2 रकबा 0.3212 है0, 967/3 रकबा 0.1620 है0, 969/3 रकबा 0.3212 है0 कुल नं0 4 कुल रकबा 0.9624 है0 को मा0 न्यायालय उपजिलाधिकारी खेकडा वाद

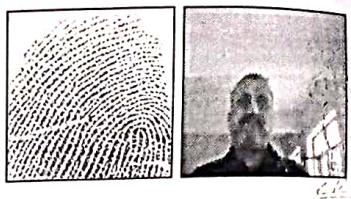
अध्यक्ष
गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट
बडागाँव (बागपत) उ०प्र०

https://igrsup.gov.in/igrsup

श्री देवेन्द्र कुमार , पुत्र श्री चरण सिंह

निवासी: ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत

व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

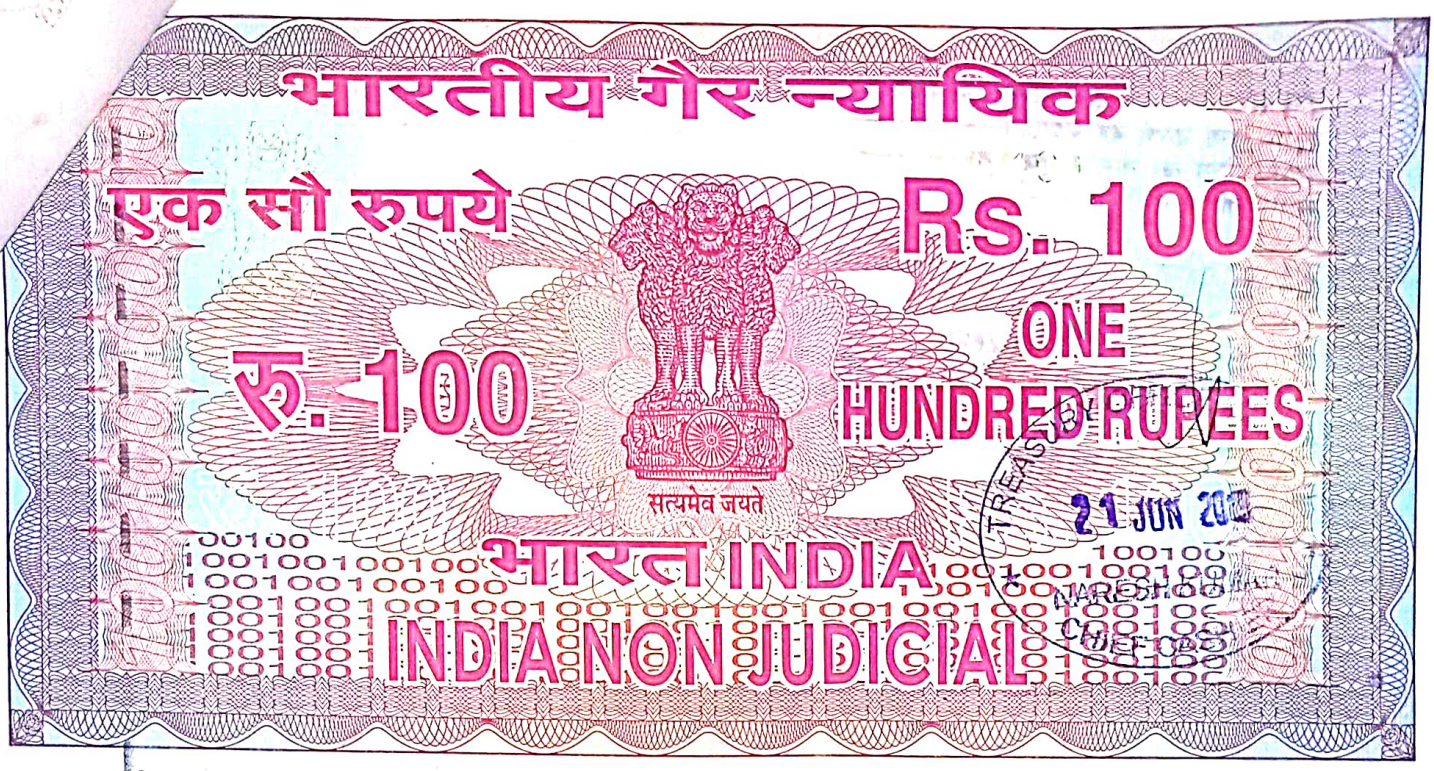
सुरेन्द्र कुमार त्यागी
उप निबंधक : खेकड़ा
बागपत

संजीत कुमार भटनागर
निबंधक लिपिक

क्रम संख्या 3173 स्टाम्प विक्रय की तिथि 27-6-19
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता
स्टाम्प की धनराशि 100/-

(देवेन्द्र कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता)
लाईसेन्स संख्या-बागपत/-2
लाईसेन्स की अवधि 31-03-2020
स्थान-तहसील कम्पाउण्ड, खेकडा (बागपत)

6/27/2019, 1:20 PM



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 454136

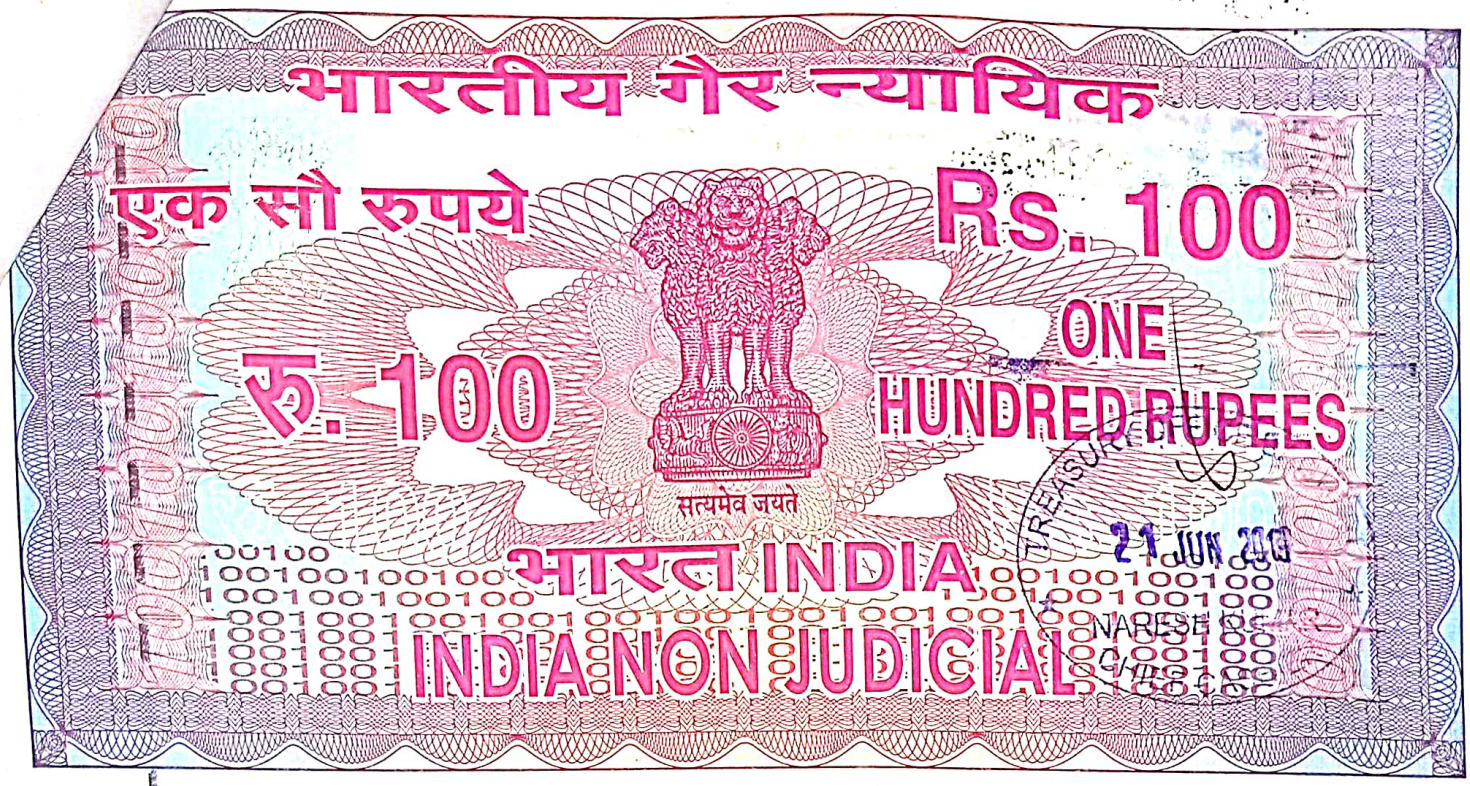
संख्या टी20191108020183 सुधीर कुमार आदि बनाम ग्राम सभा अं0 धारा 80 अधिनियम उ0प्र0 रा0 सं0 2006 में पारित आदेश दिनांक 10/05/2019 द्वारा अकृषिक भूमि घोषित किया गया है। गोल्डन गेट एजूकेशनल ट्रस्ट कार्यालय रावण उर्फ बडागांव द्वारा अध्यक्ष ट्रस्टी/संस्थापक श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जिला बागपत को शैक्षिक कार्यो हेतु एवं आवश्यक भवन निर्माण आदि के लिए तय किराया 20,000/– (बीस हजार रू0) वार्षिक की दर पर दिनांक 27/06/2019 ई0 से दिनांक 26/06/2048 तक के लिए किराये पर दी है। प्रथम पक्ष ने अपना उपरोक्त भवन क्षेत्रफल 9024 वर्ग मीटर को द्वितीय पक्ष को शैक्षिक कार्यो हेतु किराये पर देने हेतु दोनो पक्षो के मध्य निम्नलिखित शर्ते निश्चित की गई है, जिन पर दोनो पक्ष (भूमि मालिक व किरायेदार) पाबन्द रहेगे:

अध्यक्ष
गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट
बडागाँव (बागपत) उ०प्र०

3178 27-6-19

क्रम संख्या——स्टाम्प विक्रय की तिथि—
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन——— ग्
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता——— 3m 3171
स्टाम्प की धनराशि——— 100/-

(देवेन्द्र कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स संख्या-17/बागपत/-2
लाइसेन्स की अवधि 31-03-2020
स्थान—तहसील कम्पाउण्ड, खेकडा (बागपत)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 454137

नं0 1 :— यह कि उक्त निर्धारित किराया दोनो पक्षो की आपसी सहमति के आधार पर तय किया गया है जिसको द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को प्रति वर्ष जनवरी माह की एक तारीख तक किराया अदा कर किराया अदायगी की रसीद प्राप्त करता रहेगा।

नं0 2 :— यह कि प्रथम पक्ष ने अपना उपरोक्त भवन द्वितीय पक्ष को केवल शैक्षिक कार्यो हेतु दिया है जोकि शैक्षिक संस्थान गोल्डन गेट एजूकेशनल ट्रस्ट कार्यालय रावण उर्फ बडागांव के नाम से ही चलाया जायेगा। द्वितीय पक्ष उक्त भवन का उपयोग किसी अन्य लाभ अर्जित कार्यो में नहीं करेगा और शैक्षिक संस्थान का नाम गोल्डन गेट एजूकेशनल ट्रस्ट कार्यालय रावण उर्फ बडागांव को नहीं बदला जायेगा।

नं0 3:— यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भवन में शैक्षिक कार्यो हेतु भवन निर्माण जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाये, शैक्षिक कार्यालय,

अध्यक्ष
गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट
बडागाँव (बागपत) उ०प्र०

317 27-6-19

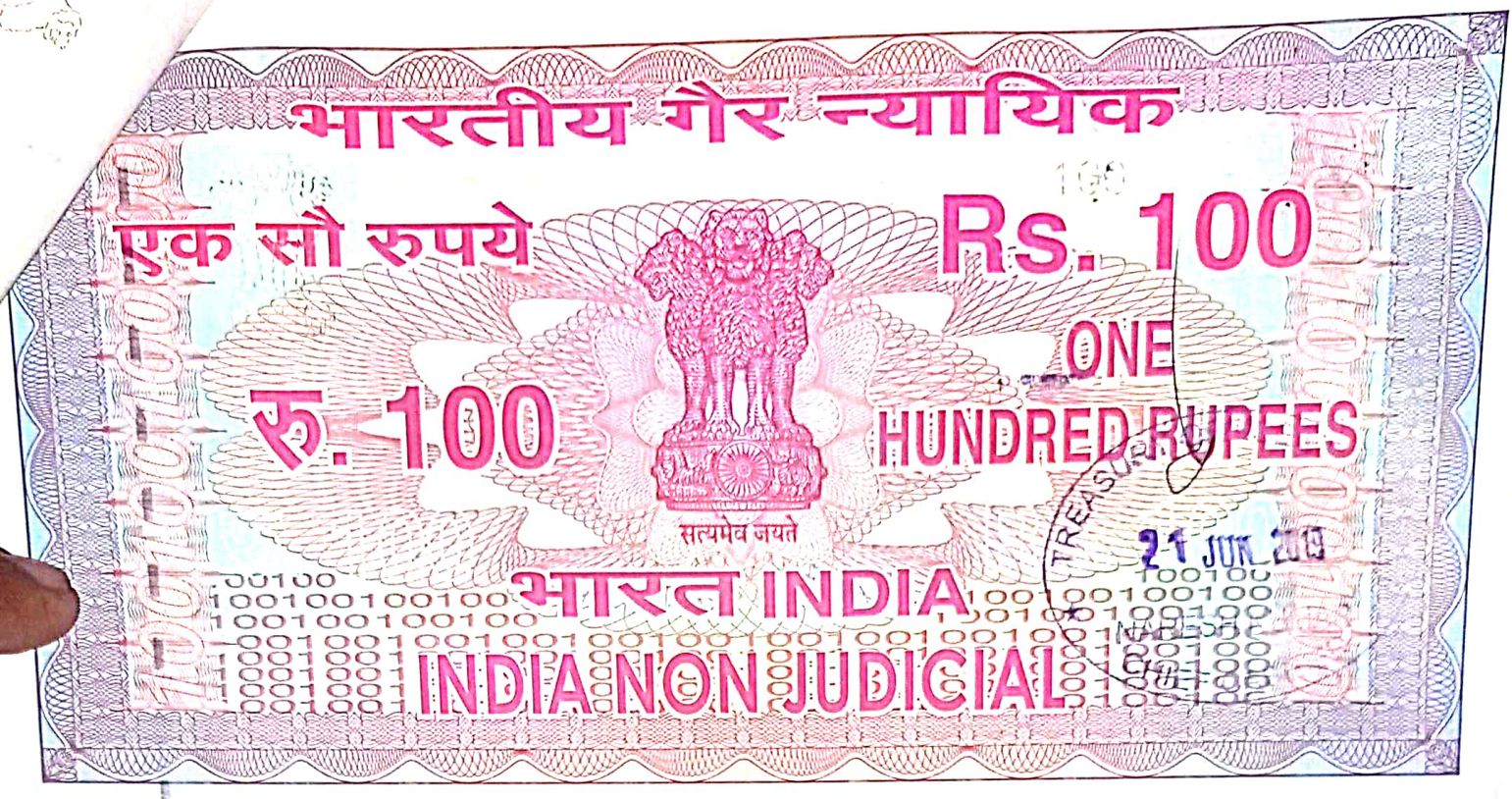
क्रम संख्या——स्टाम्प विक्रय की तिथि——

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन——

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता—— 311 2731

स्टाम्प की धनराशि——100/-

(देवेन्द्र कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स संख्या-17/बागपत/-2
लाइसेन्स की अवधि 31-03-2020
स्थान–तहसील कम्पाउण्ड, खेकड़ा (बागपत)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EY 454138

आवासीय भवन, छात्रावास शामिल है, कर सकता है, तथा अन्य आवश्यक भवन आदि का निर्माण स्वेच्छा से केवल शैक्षिक उत्थान एवं सुविधा हेतु अपने खर्चे पर कर सकता है जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

नं0 4 :— यह कि उपरोक्त भवन में शैक्षिक कार्यो हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण किये गये भवन पर लगने वाले भवनकर, जलकर या अन्य आदि सभी प्रकार के करो को अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।



अध्यक्ष
गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट
बडागाँव (बागपत) उ०प्र०



क्रम संख्या 3176 स्टाम्प विक्रय की तिथि 27-6-19

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 100/-

(देवेन्द्र कुमार गर्ग स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेन्स संख्या-17/बागपत/-2
लाइसेन्स की अवधि 31-03-2020
स्थान-तहसील कम्पाउण्ड, खेकड़ा (बागपत)

नं0 5 :– यह कि द्वितीय पक्ष शैक्षिक कार्यो हेतु छात्रो, अध्यापको या दैनिक उपयोग हेतु बिजली का कनेक्शन केवल गोल्डन गेट एजूकेशनल ट्रस्ट कार्यालय रावण उर्फ बडागांव के नाम से ही लेगा, किसी व्यक्तिगत नाम से नहीं तथा इस संस्था पर लिये गये बिजली के कनेक्शन के बिल इत्यादि के भुगतान की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, किसी भी प्रकार से प्रथम पक्ष देनदार नहीं होगा।

नं0 6 :– यह कि यदि द्वितीय पक्ष गोल्डन गेट एजूकेशनल ट्रस्ट कार्यालय रावण उर्फ बडागांव भविष्य में सामाजिक शैक्षिक उत्थान में उन्नत्ति प्राप्त करता है तथा संस्थान के शैक्षिक कार्यो से प्रथम पक्ष या प्रथम पक्ष के वारिसान की सहमति पर द्वितीय पक्ष उपरोक्त भवन को केवल संस्थान के नाम भवन का मूल्य प्रथम पक्ष को या प्रथम पक्ष के वारिसान को अदा कर किराया कर सकता है तथा रजिस्ट्री आदि कर सरकारी अभिलेखो में संस्थान का नाम दर्ज करा सकता है।

नं0 7 :– यह कि यदि द्वितीय पक्ष किराया समय सीमा में उपरोक्त भवन किराया नहीं कर पाता है तो तय समय सीमा के अन्तर्गत अन्तिम वर्ष के अन्त तक अपना कब्जा हटाकर भवन प्रथम पक्ष को सौप देगा। कब्जा हटाने में किसी भी प्रकार के खर्चे का देनदार प्रथम पक्षगण नहीं होगा और यदि किसी आंशिक कब्जे को प्रथम पक्ष द्वारा हटाया जाता है तो इसमें हर्जे खर्चे का देनदार द्वितीय पक्ष की होगी।

नं0 8 :– यह कि उपरोक्त भवन पर द्वितीय पक्ष दिनांक 27/06/2019 से बतौर किरायेदार काबिज चला आ रहा है।

नं0 9:– यह कि दोनो पक्षो में किसी प्रकार के विवाद को केवल सक्षम न्यायालय जिला बागपत में ही सुना जा सकता है।



अध्यक्ष
गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट
बडागाँव (बागपत) उ०प्र०

लिखकर रहे
पाबन्द रहे
27/06/2019
बागपत।

उपरोक्त शर्ते क्रम एक से नौ तक दोनो पक्षो की सहमति पर लिखकर रजिस्ट्रीकृत करा दी गई है ताकि दोनो पक्ष उपरोक्त शर्तो पर पाबन्द रहे और समय पर मूल दस्तावेज काम आवे। तहरीर तिथि 27/06/2019 ई0। मसौदा नवीस मुकेश कुमार यादव एडवोकेट जनपद बागपत।



मुकेश कुमार यादव
एडवोकेट
रजि०नं० यू०पी०बी०08300/09
चे०नं०—11, तहसील परिसर
खेकडा (बागपत)

Vijay

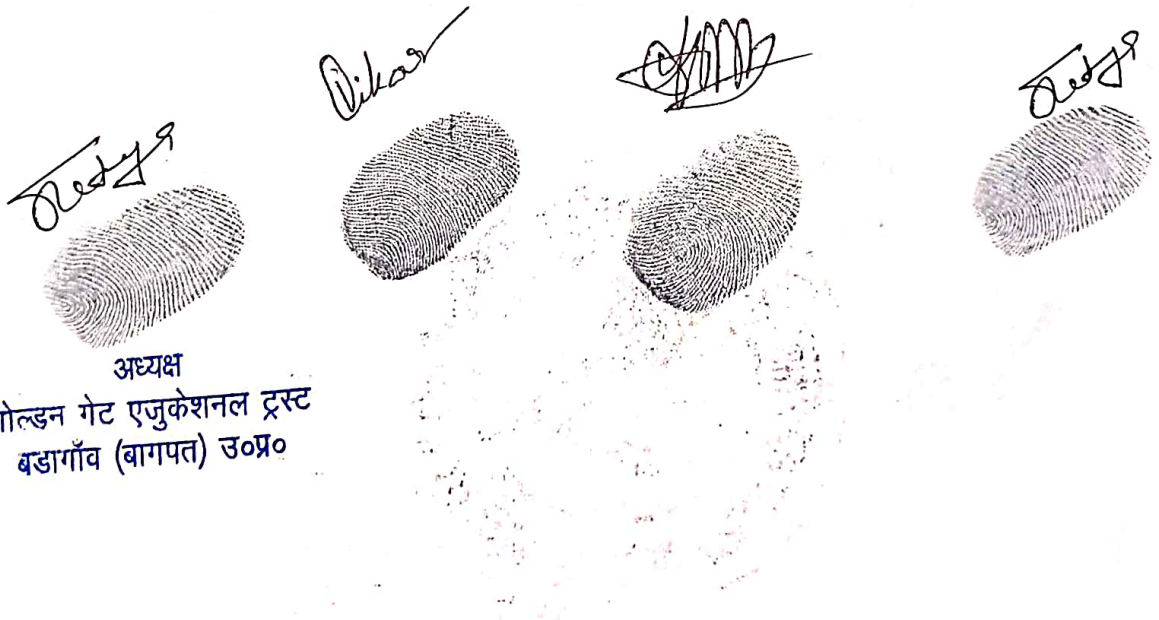
साक्षी नं0 1 विजय कुमार आर्य पुत्र श्री अतर सिंह
निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत।

देवेन्द्र कुमार

साक्षी नं0 2 देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री चरण सिंह
निवासी ग्राम मवीकलां तहसील खेकडा जनपद बागपत।



मुकेश कुमार यादव
एडवोकेट
रजि०नं०
चे०नं०—11, तहसील परिसर
खेकडा (बागपत)



अध्यक्ष
गोल्डन गेट एजुकेशनल ट्रस्ट
बडागाँव (बागपत) उ०प्र०

Mayadv.
मुकेश कुमार यादव
एडवोकेट
रजि०नं० यू०पी०बी०08300/09
चे०नं०—11, तहसील परिसर
खेकडा (बागपत)

आवेदन सं०: 201900737002439

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2200 के पृष्ठ 273 से 300 तक क्रमांक 1900 पर दिनाँक 27/06/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेन्द्र कुमार त्यागी
उप निबंधक : खेकड़ा
बागपत
27/06/2019